भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 203

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

लापता महिलाओं और बच्चों के लिए पोर्टल

***203. श्रीमती भारती पारधी:**

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छह वर्षों के दौरान लापता महिलाओं और बच्चों के संबंध में आंकड़े संकलित किए जाने के प्रयासों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसे कितने मामले अनसुलझे हैं;

(ख) लापता महिलाओं और बच्चों का शीघ्र पता लगाने, उनका बचाव और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण समितियों, पुलिस और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लापता महिलाओं और बच्चों का वास्तविक समय में पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल/डिजिटल प्रणाली शुरू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) राज्यों के विशेष अधिकारियों को प्रशिक्षण और उनकी तैनाती सहित बाल संरक्षण इकाइयों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) महिलाओं और बच्चों के लापता होने की घटनाओं को कम करने तथा उनकी समय पर सुरक्षा और पुनर्वास के साथ-साथ दुर्व्यापार-रोधी उपायों को बाल कल्याण ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

'लापता महिलाओं और बच्चों के लिए पोर्टल' विषय पर श्रीमती भारती पारधी एवं श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.20 26 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण।

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) देश में लापता और बरामद महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है, जिसे वह अपनी रिपोर्ट 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट वर्ष 2023 तक उपलब्ध है और इसेwww.ncrb.gov.in/crime-in-india-yearwise.html?year=2023&keyword= पर देखा जा सकता है।

(ख) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के लिए नोडल मंत्रालय है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है तथा इसे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत राज्य और जिला स्तर पर सांविधिक संरचनाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें राज्य बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) और जिला बाल संरक्षण इकाइयां शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) की स्थापना का भी प्रावधान है।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 (धारा 27-30) के तहत, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) के कामकाज की निगरानी करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 106 के अनुसार, अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 107 के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) गठित करने का अधिदेश दिया गया है, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक या इससे ऊपर रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उप निरीक्षक या इससे ऊपर रैंक के अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

यह मंत्रालय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से एक केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' कार्यान्वित कर रहा है, ताकि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा सकें। इन सेवाओं में संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई), अन्य बातों के साथ-साथ, आयु उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि की सहायता प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के तहत, बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखरेख (आफ्टर केयर) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

इस मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य और जिला स्तर पर लापता बच्चों के लिए पदनामित नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इन नोडल अधिकारियों का विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है। गृह मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य के

संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने और लापता बच्चों के बारे में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से डेटा एकत्र करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और ताल मेल से एकीकृत समरूप मिशन वात्सल्य पोर्टल तैयार किया है। लापता/पाए गए बच्चों के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और लापता/ देखे गए बच्चों के लिए खोया-पाया एप्लीकेशन को इस समरूप मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल विभिन्न हितधारकों जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण इत्यादि के सहयोग और भागीदारी से कार्यान्वित किया गया है। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों सहित सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं अन्य हितधारकों को ट्रैक चाइल्ड के कार्यान्वयन के बारे में दिशा-निर्देश (एडवाइजरी) जारी किए गए हैं। यह गृह मंत्रालय के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ भी एकीकृत है, जिसमें लापता बच्चो के बारे में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को ट्रैक चाइल्ड के आंकड़ो से मिलान में परस्पर सहूलियत रहती है जिससे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस द्वारा पता लगाए गए और गुमशुदा बच्चों की संख्या का मिलान करना सरल होता है। इसके अलावा, खोया-पाया मॉड्यूल के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी लापता या देखे गए बच्चों के बारे में सूचना दे सकता है।

इस योजना में, कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाओं (24x7x365) का भी प्रावधान है। यह चाइल्ड हेल्पलाइन गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली -112 (ईआरएस -112) के साथ एकीकृत है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत 'शक्ति सदन' नामक एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास केंद्र है, जो मानव दुर्व्यापार पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए समर्पित है। शक्ति सदन निराश्रित, संकटग्रस्त, हाशिए पर रह रही महिलाओं और दुर्व्यापार इत्यादि की शिकार महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थल है, जो उन्हें सहायता, देखरेख, सहयोग प्रदान करता है और उनकी दैनिक आवश्यकताओं एवं सेवाओं की पूर्ति करता है।

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) भी मिशन शक्ति का एक हिस्सा है। डब्ल्यूएचएल आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है और सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। महिला हेल्पलाइन 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ईआरएसएस-112 के साथ एकीकृत है।

(घ) और (ड.):.सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी), जो इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, बाल दुर्व्यापार की रोकथाम, लापता बच्चों और महिलाओं एवं बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन हितधारकों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ (एएचटीयू), विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ (एसजेपीयू), रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) के अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) इत्यादि के पदाधिकारी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, बीएनएस की धारा 143 में, विभिन्न बलपूर्वक साधनों का उपयोग करके शोषण के लिए किसी व्यक्ति की भर्ती, लाने ले जाने (ट्रांसपोर्टिंग), आश्रय देने, स्थानांतरण या प्राप्ति के को मानव दुर्व्यापार माना गया है। इस धारा में, दुर्व्यापार के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, तथा एक से अधिक व्यक्तियों या बच्चों के दुर्व्यापार के लिए और अधिक दंड का प्रावधान है। इसके अलावा, बीएनएस, 2023 की धारा 144, यौन शोषण सहित दुर्व्यापार के शिकार व्यक्तियों के शोषण से संबंधित है। इस धारा में दुर्व्यापार किए गए बच्चों और महिलाओं सहित वयस्कों के शोषण के लिए अलग-अलग दंडों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कारावास अलग-अलग अवधि और जुर्माना निर्धारित किया गया है। बीएनएस की धारा 95, किसी अपराध के लिए बच्चे को काम पर रखने, नियोजित करने या शामिल करने से संबंधित है। बीएनएस की धारा 99 वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बच्चे को खरीदने से संबंधित है। यह धाराएं भी मानव दुर्व्यापार के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 में भी दुर्व्यापार को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है।

इसके अतिरिक्त, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "राज्य" के विषय हैं। इसलिए, मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और उससे निपटने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, जो कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

हालांकि, भारत सरकार मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर जारी विभिन्न एडवाइजरी के रूप में दिशानिर्देश प्रदान करके उनके प्रयासों में सहयोग करती है। केंद्र सरकार की कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

(i) सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) के उन्नयन/स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलें शामिल हैं। वर्तमान में, 827 एएचटीयू कार्यशील हैं, जिनमें से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 807, सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ) में 15 और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 5 में कार्यशील हैं। एसएसबी ने विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर 1903 भी स्थापित की है।

(ii) गृह मंत्रालय भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 'राज्य स्तरीय सम्मेलनों' और न्यायिक संगोष्ठियों' के आयोजन में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिनका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस/कानून पदाधिकारियों को मानव दुर्व्यापार के मुद्दे का ध्यानपूर्वक और कुशल तरीके से समाधान करने के लिए प्रासंगिक नवीनतम पहलों/विकासों के बारे में संवेदनशील बनाना है।

(iii) गृह मंत्रालय द्वारा 12 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय स्तर का एक संचार मंच - क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (सीआरआई एमएसी) शुरु किया गया जिसका उद्देश्य अपराध और अपराधियों के संबंध में ऑनलाइन सूचना विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच 24x7 घंटे साझा करना और उनके बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है। इससे देश में मानव दुर्व्यापार के मामलों सहित गंभीर अपराधों के विषय में सूचना का प्रसार तत्समय(रियल टाइम) आधार पर करना सुगम होता है और अंतर राज्यीय समन्वय स्थापित होता है।

(iv) सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अंतरराज्यीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभावों वाले मानव दुर्व्यापार के मामलों की जांच करने का दायित्व सौंपा है।

(v) निर्भया कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता से पुलिस स्टेशनों में 14,653 महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पुलिस स्टेशनों को अधिक महिला-अनुकूल और सुलभ बनाना है।

(vi) यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम (आईटीएसएसओ) नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक साधन शुरू किया गया है ताकि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 (अब बीएनएसएस में शामिल) के अनुसार यौन अपराधों में पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण की निगरानी और ट्रैकिंग की जा सके। इससे संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मामले की जांच की प्रगति की नियमित समीक्षा करने में सुगमता रहती है।

(vii) यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) एक ऐसा डेटाबेस है जो विशेष रूप से पुलिस के लिए उपलब्ध है। इसे यौन अपराधियों की अन्वेषण और ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए 20.09.2018 को शुरु किया गया था, जो जांच अधिकारियों को आदतन यौन अपराधियों को ट्रैक करने के साथ-साथ यौन अपराधों के खिलाफ निवारक उपाय करने की अनुमति देता है।

(viii) मानव दुर्व्यापार अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएचटीओ) कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तस्करों के पोर्टफोलियो की खोज करने में सुविधा प्रदान करता है, जिसमें अपराध इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, आवागमन, न्यायिक कार्यवाही, अपीलें, मिलने वाले व्यक्तियों इत्यादि की जानकारी शामिल होती है। तस्करों के डेटा की खोज से ऐसे अपराधों की रोकथाम/पता लगाने और जांच के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

भारत सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-एजेंसी सहयोग बढ़ाने और मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), नए आपराधिक कानूनों और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (आईटीपीए) के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहलों के सहयोग से मानव दुर्व्यापार के अपराधों से निपटने के लिए एक अधिक सशक्त ढांचा तैयार करती है।
